गांवों में उचित दर की दुकानों की स्थापना

1781 **श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में रहने वाले गरीबों, आदिवासियों तथा आम जनता को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं मुहैया करने की नीति को अपना लिया है और क्या सरकार इस संबंध में निश्चित आबादी वाले हर गांव या क्षेत्र में उचित दर की दुकानें या राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की दुकानों की स्थापना का मानदण्ड क्या है ;

(ग) दिनांक 1-1-1983 से 30-6-1986 तक गुजरात एवं दिल्ली, दादर नगर हवेली, गोवा, दमण और दीव के केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इस प्रकार की कितनी दुकानें खोली गई ;

(घ) वर्ष 1986-87 में कितनी दुकानें खोली जाएंगी ; और

(ङ) आदिवासियों, हरिजनों, और पिछड़े वर्गों को कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं या किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जो अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने और उचित दर की दुकानें खोलने के लिए उत्तरदायी हैं, पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी भागों में, विशेष रूप से दुर्गम, दूरस्थ और दूर-दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की उचित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भेजे गए है कि वे 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान के आधार पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करें। छितरी हुई आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में इस मानदण्ड में **छूट** भी ढील दी जा सकती है।

(ग) 30-6-1986 को देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या 21-2-1983 को 2,81,458 दुकानों के मुकाबले में 3,28,421 दुकाने थीं। इन दो तारीखों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सलाह दे रखी है कि वे आबादी के सभी वर्गों जिनमें हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग शामिल हैं, को आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वहां नई उचित दर की दुकानें खोलें। 1986-87 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर की दुकानें	
		21-2-83 को	30-6-86 को
1.	आंध्र प्रदेश	30703	33909
2.	असम	15309	22670
3.	बिहार	37142	39028
4.	गुजरात	10145	10795
5.	हरियाणा	5588	6227
6.	हिमाचल प्रदेश	2742	2860
7.	जम्मू तथा कश्मीर	2162	2312
8.	कर्नाटक	14352	15928
9.	केरल	11820	12625
10.	मध्य प्रदेश	17016	18875
11.	महाराष्ट्र	30024	33060
12.	मणिपुर	1144	1466
13.	मेघालय	1761	2437
14.	नागालैन्ड	83	180
15.	उड़ीसा	17858	19699
16.	पंजाब	10800	10801
17.	राजस्थान	10445	13404
18.	सिक्किम	926	1108
19.	तमिलनाडु	17786	20723
20.	त्रिपुरा	889	1029
21.	उत्तर प्रदेश	19577	34078
22.	प० बंगाल	18525	19664
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	199	224
24.	अरुणाचल प्रदेश	242	367
25.	चण्डीगढ़	202	284
26.	दादरा तथा नगर हवेली	40	52
27.	दिल्ली	2869	3104
28.	गोवा, दमन और दीव	386	493
29.	लक्षद्वीप	24	25
30.	मिजोरम	441	702
31.	पांडिचेरी	178	292
	योग :	281458	328421